न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 11/2020 (राजसमन्द डिक्री)

रामलाल पिता कालू जाट, निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीलाल पिता नानालाल गाडरी, निवासी सुन्दरपुरा, मजरा उदलपुरा, तहसील रेलमगरा
2. माधुलाल पिता नानालाल गाडरी, निवासी सुन्दरपुरा, मजरा उदलपुरा, तहसील रेलमगरा
3. श्रीमती शान्ति पुत्री नानालाल गाडरी, निवासी सुन्दरपुरा, मजरा उदलपुरा, तह. रेलमगरा
4. श्रीमती प्यारी पत्नी नानालाल गाडरी (नाम तर्क किया गया)
5. नारू पिता जालम गाडरी, नि0 सुन्दरपुरा, मजरा उदलपुरा, तह0 रेलमगरा के बजाय :–

5/1. देवीलाल पिता नारू गाडरी, निवासी सुन्दरपुरा, मजरा उदलपुरा, तहसील रेलमगरा

5/2. श्रीमती नारायणी पत्नी नारू गाडरी, नि. सुन्दरपुरा, मजरा उदलपुरा, तह. रेलमगरा

5/3. श्रीमती मांगी पुत्री नारू पत्नी मांगीलाल गाडरी, निवासी लुणेरा, उदलपुरा के पास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

5/4. श्रीमती अणछी पुत्री नारू पत्नी रामचन्द्र गाडरी, निवासी मोरट, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5/5. श्रीमती कमला पुत्री नारू पत्नी रोशनलाल गाडरी, निवासी लख्मीपुरा, (गिलुण्ड के पास), तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा प्रकरण संख्या 487/10 दिनांक 05.03.20

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सी.एस. शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 1, 2

———:::———

निर्णय **दिनांक 10–10–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटडी में खाता संख्या 245 की आराजी नंबर 775, 777, 2568, 770 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा एवं खाता संख्या 239 की आराजी नंबर 774 रकबा 9 बिस्वा आ.चा. स्थित है। खाता संख्या 245 की आराजियात का वादी खातेदार होकर काबिज चला आ रहा है, जो आराजी नंबर 774 से सिंचित होती है। वादी ने आराजी नंबर 771 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा श्री मांगीलाल, रामदयाल पिता दौलतराम से कुंए के हिस्से सहित क्रय किया है, जिससे आराजी नंबर चाह 774 में जो हिस्सा उनका था, वादी के नाम अंकित हो गया। खाता संख्या 245 की आराजी नंबर 775 रकबा 11 बिस्वा, 777 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 770 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, जिसके साबिक नंबर क्रम[illegible] 542, 543, 549 खातेदार हेमराज पिता वेणीराम ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के [illegible] व प्रतिवादी संख्या 5 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:11 IST
Reason: SelfAttested

मय चाह विक्रय कर दी, जिनसे वादी के पिता ने संवत् 2022 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से वादी लगातार काबिज चला आ रहा है। आराजी चाह 774 रकबा 9 बिस्वा के साबिक आराजी नंबर 546 रकबा 9 बिस्वा है, किन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान गलती से 774 का 2/9 हिस्सा वादी के नाम अंकित नहीं हो सका व नारू पिता जालम गाडरी के नाम अंकित हो गया, जबकि उक्त चाह से उनकी कोई भूमि सिंचित नहीं होती है एवं इस चाह के पास उनकी कोई भूमि शेष नहीं है। अतः आराजी चाह नंबर 774 रकबा 9 बिस्वा में वादी का कुल 1/3 हिस्सा अर्थात 1/9 हिस्सा पहले से दर्ज है एवं 2/9 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, वह वादी के नाम घोषित किया जाकर वादी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज कराया जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में कुल 5 तनकियात कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 05–03–2020 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–06–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री सी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 का नाम तर्क किया गया, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 का नाम न्यायालय के आदेश के हटा दिये जाने के बावजूद उसके पक्ष में डिक्री जारी कर दी। इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उसके पक्ष में डिक्री जारी कर दी गयी। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित डिक्री अपने आप में अवैध है। वादी ने तनकी नंबर 1 को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। इसी प्रकार अन्य तनकियों का निर्णय भी वादी के विरूद्ध निर्णित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि कुआ चाह अन्तर्गत धारा 5 (19) रा.टी. एक्ट के अनुसार भूमि के विकासार्थ माना गया है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर **RRT 2006-07 Supp. Page 208, RRT 2017 (2) Page 1047 (S.C.), Ramchandra v/s Lakha (Rajasthan High Court 31.03.1971)** प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 में विवादित चाह नंबन 774 रकबा 9 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 2/9 हिस्सा अंकित है, जिसे वादी/अपीलान्ट क्रय करना बताया है, किन्तु इस संबंध में अपीलान्ट/वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। वादी द्वारा प्रदर्श 7 जो प्रस्तुत किया है, उसमें मात्र कुंआ खोदे जाने का अंकन है। कुंआ क्रय किये जाने का कोई दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद साबित नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–03–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:11 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

रामलाल पिता कालू जाट, निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द बनाम **बद्रीलाल पिता नानालाल गाडरी, निवासी सुन्दरपुरा, मजरा उदलपुरा, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**11/2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**05**.....माह.....**03**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सी. एस. शक्तावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–03–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:11 IST
Reason: SelfAttested